



पत्रांक १०१६ / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०-दे०दून / वन भूमि

दिनांक ०५/१०/२०१९

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भीतरली किमाडी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

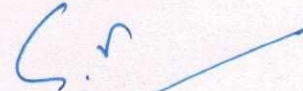
सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./1312, दिनांक 18.09.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून द्वारा अपने पत्रांक-8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./1312, दिनांक 18.09.2019 के द्वारा दो बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

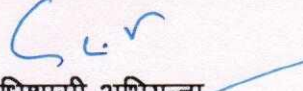
अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई दोनों बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है तथा निराकरण की हार्ड प्रति दो प्रतियों में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है, कि प्रभाग प्रस्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक १०१६ / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०-दे०दून / वन भूमि / तदिनांक

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता- प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।


अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

योजना का नाम:- जनपद देहरादून विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री नाम ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/20710/20106)

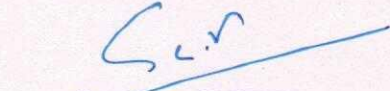
Objection No-1-The construction of road beyond Point No. 25 (as per digital map of proposed road) is not required as the next tok "Badi Bhitarli" is already connected from another side i.e., Kimadi and bridal path distance is approx. 500m.

बिन्दु संख्या-1 का प्रतिउत्तर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिचाई खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून) के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 कि०मी०) प्रथम स्टेज के नव-निर्माण में आने वाली वन भूमि (3.528 है०) हेतु प्रस्तावित है जिसका Online Proposal संख्या- (FP/UK/ROAD/20710/20106) है। उक्त मोटर मार्ग का देहरादून के पुरूकुल क्षेत्र को राजपुर क्षेत्र से जोड़ने हेतु उक्त प्रस्ताव वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण से बड़ी भितरली, छोटी भितरली-किमाड़ी और अन्य ग्रामीणों को शिक्षा एवं मेडिकल कनेक्टिविटी एवं ग्राम स्तर पर होने वाले कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को राजपुर क्षेत्र देहरादून मुख्यालय से जोड़ने हेतु इस मार्ग निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे की भितरली ग्राम सभा को मुख्य बाजार, राजपुर से कम दूरी पर जोड़ा जा सके। वर्तमान में जिस हेतु ग्रामीणों को प्रतिदिवस 5 से 10 कि०मी० पैदल दूरी चलकर तय करनी होती है।

पूर्व में उक्त मार्ग का प्रस्ताव वर्ष 2009 में पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड द्वारा 04 कि०मी० की लम्बाई समरेखण प्रस्तावित किया गया था, जिसका भितरली ग्राम सभा द्वारा विरोध किया गया था। स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं माननीय सांसद, टिहरी, गढ़वाल के द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई० विभाग को किमाड़ी एवं पुरूकुल क्षेत्र की सभी Habitation को जोड़ते हुये संशोधित समरेखण प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों के क्रम में पी०एम०जी०एस०वाई० विभाग द्वारा क्षेत्रीय जनता, जन प्रतिनिधि एवं माननीय सांसद टिहरी गढ़वाल की सहमति एवं सुझाव को दृष्टिगत रखते हुये मार्ग के नये समरेखण में क्षेत्र की अधिकांश आबादी को जोड़ते हुये पूर्व निर्मित मालसी, पुरूकुल गांव मोटर मार्ग के अन्तिम चैनेज से आरम्भ करते हुए, पुरूकुल गांव कण्डियाना, बड़ी भितरली बसावट होते हुए 10.400 कि०मी० लम्बाई में छोटी भितरली गांव तक पहुँचाया गया तथा पुरूकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 10.40 कि०मी० लम्बाई का समरेखण प्रस्तावित की गयी। इस नये प्रस्तावित समरेखण को भारत सरकार द्वारा माना गया एवं कोर नेटवर्क में संशोधन करते हुये मार्ग की लम्बाई 10.40 कि०मी० प्रस्तावित की गयी है।


Executive Engineer
PMGSY ID,
Dehradun (Uttarakhand)

वर्तमान में किमाड़ी, बड़ी भितरली, छोटी भितरली क्षेत्र के ग्रामवासी अपनी उच्च शिक्षा, मेडिकल सुविधा, दूध एवं सब्जियों के उत्पादन को विक्रय करने के लिये राजपुर क्षेत्र पर भी निर्भर है तथा दूध एवं सब्जियों के उत्पादन क्षेत्रवासियों की आजीविका का एक मात्र स्रोत है। पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय जनता को होने वाली कठिनाईयों से मुक्त किया जा सकें तथा मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन की आवाजाही होगी, यातायात व्यवस्था सुगम होने से स्थानीय जनता की समय की काफी बचत होगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा।

Objection No-2- The alignment of the road from Purukul (starting point) to Kandiyara Village (Point No 11 as per digital map) is required for re-assessment as the bridal path seems more suitable. The proposed alignment from Purukul (starting point) to Kandiyara (point No. 11 as per digital map) requires geological study again from reputed institute as it is cutting the steep slope.

बिन्दु संख्या-2 का प्रतिउत्तर

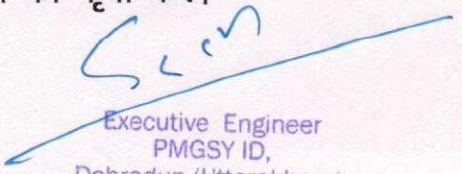
पुरुकुल गांव से कण्डियाना ग्राम (बिन्दु सं0-11) डिजिटल मैप के अनुसार R.L.1007 मीटर है। कण्डियाना गांव के निकट बिन्दु सं0-11 एवं पैदल मार्ग का Vertical level Difference 35 मीटर है। जबकि उक्त सड़क का सर्वेक्षण Indian Road Congress (IRC) मानकों के अनुरूप किया गया है। IRC के मानकों के अनुरूप Ruling Gradient for hill roads लम्बाई में 1:40 से अधिक लिया जाना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। ऐसे स्थलों जहां पर पहाड़ों का Terrain बहुत जादा Steep है, वहां मार्ग की लम्बाई बढ़ाई जाती है।

बिन्दु सं0-11 के अग्रेत्तर में जो पैदल मार्ग डिजिटल मैप में प्रदर्शित हो रहा है वह टोंस नदी के समानान्तर है, टोंस नदी का R.L. 980.00 मी0 है एवं नदी के तट पर पैदल मार्ग का R.L. 982.00 मीटर है। वर्षा ऋतु में उक्त नदी के भाग में हर समय जल भराव रहता है जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः नदी के समानान्तर उपरोक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता।

मार्ग के समरेखण का भू-गर्भीय वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन पूर्व में किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तावित समरेखण को भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया। तदनुसार अधीक्षण अभियन्ता महोदय के द्वारा समरेखण को अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया है।

मोटर मार्ग के अभाव के कारण ग्राम सभा भितरली से पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 459 है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 476 थी।

अतः पुनः निवेदन है, कि प्रधानमंत्री नाम ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन करने की कृपा करें।


Executive Engineer
PMGSY ID,
Dehradun (Uttarakhand)